सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 12ए/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

♠बनाम♠

समस्त ग्रामवासियान **काचरिया** तहसील केकड़ी जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—क</u>

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भीमडावास में पेश हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके **ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी** की जमाबन्दी संवत **2072 से 2075** के खाता संख्या 1 में दर्ज **खसरा नम्बर 500 रकबा 0.94 है. किस्म बारानी 3** भूमि दर्ज है। भूमि जो **सरकारी खाते** में सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में से रकबा 0.94 है. को जो वर्तमान में रास्ते में काम में आ रही है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में उपस्थित। तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर रास्ते के काम आने वाली आराजी को रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने में सहमति दी है।

अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके **ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी** की जमाबन्दी संवत **2072 से 2075** के खाता संख्या 1 में दर्ज **खसरा नम्बर 500 रकबा 0.94 है. में से रकबा 0.94 है. किस्म बारानी 3** ***को रास्ता दर्ज करने हेतु प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सार्वजनिक उपयोग में आने जाने के उपयोग में स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार केकड़ी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।***

आदेश आज दिनांक 02..6.18 को पृथक से लिखा जाकर केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार **केम्प भीमडावास** मज में आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

केकडी